भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या – 4118
(जिसका उत्तर गुरुवार, 21 मार्च, 2013/30 फाल्गुन, 1934 (शक) को दिया गया)

तुलनपत्र में विसंगति

4118. श्री एस. पक्कीरप्पा :

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान अनेक कंपनियों के तुलनपत्र में विसंगति के कारण उनके लेखाओं की जांच की है; और
(ख) यदि हां, तो ऐसी कंपनियों के नाम क्या हैं और उनके विरूद्ध क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री सचिन पायलट)

(क) और (ख) : इस मंत्रालय ने ऐसी विभिन्न कंपनियों के लेखाबही का निरीक्षण/जांच किया है जिनके तुलन पत्रों में कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 211 और 227 का उल्लंघन देखा गया था। जांच के परिणामों के आधार पर गलती करने वाली कंपनियों और उनके चूककर्ता अधिकारियों के विरूद्ध दंडात्मक कार्रवाई की गई है जो इस प्रकार है:-

वर्ष	दायर अभियोजन
2009-10	246

2010-11	278
2011-12	54

*****